"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 294] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 नवम्बर 2005—अग्रहायण 2, शक 1927

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-21/20/2005.—छत्तीसगढ़ अशासकीय शिक्षण समिति (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का संदाय) अधिनियम, 1978 (क्र. 20 सन् 1978) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ निजी शिक्षण संस्था/स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की पदोन्नति नियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

शब्द "आयुक्त, लोक शिक्षण" जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर शब्द "संचालक, लोक शिक्षण" स्थापित किया जाये.

Raipur, the 23rd November 2005

NOTIFICATION

No. F 4-21/20/2005.—In exercise of the powers conferred by the section 10 of the Chhattisgarh Ashaskiya Sikshan Samittee (Adhyapakon Thatha Anya Karmchariyon Ke Vetan Ka Sandaya) Adhiniyam 1978 (No. 20 of 1978), the State Government hereby makes the following amendments in Chhattisgarh Private Educational Institutions (Promotion of teachers and other employers working in schools) Rules, 1988, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

For words "Commissioner Public Instructions" wherever they occur the words "Director Public Instructions" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.